



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-20042023-245282
CG-GJ-E-20042023-245282

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]
No. 247]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 20, 2023/चैत्र 30, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 2023/CHAITRA 30, 1945

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
अधिसूचना

गांधीनगर, 19 अप्रैल, 2023

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आस्ति, देयताएं, शोधन क्षमता मार्जिन और जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट का सार) विनियम, 2023

आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी039.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12की उप-धारा (1) और धारा 13की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उप-धारा (1) और बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64फ और 64फक के साथ पठित धारा 114क की उप-धारा (2) के खंड (छ), (म), (य), (यक) और (यकख)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण निम्नलिखित नियम बनाता है :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

(1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए आस्ति, देयताएं, शोधन क्षमता मार्जिन और बीमांकिक रिपोर्ट का सार) विनियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

अध्याय 1

परिचय

1. प्रयोज्यता

ये विनियम जीवन बीमा व्यवसाय करने वाले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालयों (आईआईओ) पर लागू होंगे।

बशर्ते कि अनिगमित रूप में स्थापित आईआईओके लिए, इन विनियमों के अधीन शोधन क्षमता मार्जिन और संबंधित अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी और ऐसे आईआईओसंबंधित अपेक्षा का अनुपालन करेंगे, जैसा कि आईएफएससीए (बीमा व्यवसाय) विनियम, 2021 के विनियम 17 के उप-विनियम (4) के अधीन निर्धारित किया गया है।

तथापि बशर्ते कि इन विनियमों के अधीन निर्दिष्ट रिपोर्ट करने के प्रारूप ऐसे आईआईओके लिए लागू होते रहेंगे।

2. उद्देश्य

इन नियमों का उद्देश्य आईआईओ द्वारा सामान्य, स्वास्थ्य, या पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए पूंजी और शोधन क्षमता से संबंधित आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करना है।

3. परिभाषाएँ

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
- (क) **'अधिनियम'** का अभिप्राय: है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50);
- (ख) **'वार्षिक प्रीमियम'** का अभिप्राय: है पॉलिसी वर्ष में पॉलिसी के अधीन आधारभूत लाभों को सुरक्षित करने के लिए पॉलिसीधारक द्वारा देय नियमित प्रीमियम (अतिरिक्त प्रीमियम को छोड़कर जो अलग से दिखाया जाना आवश्यक है);
- (ग) **'नियुक्त बीमांकक'** का वही अभिप्राय: होगा जो इसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022 के विनियम 3 के उप-विनियम 1 के खंड (ग) के अधीन दिया गया है;
- (घ) **'प्राधिकरण'** का अभिप्राय: है अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण;
- (ङ) **'अतिरिक्त प्रीमियम'** का अभिप्राय: है प्रभार जिसका प्रावधान न्यूनतम बीमा पॉलिसी प्रीमियम में किसी भी जोखिम के लिए नहीं किया गया है;
- (च) **'समूह व्यवसाय'** का अभिप्राय: है 'समूह पॉलिसी' के रूप में जाने जाने वाले विवरण की बीमा पॉलिसियाँ, जहाँ पॉलिसी द्वारा समाहित किए गए व्यक्तियों की संख्या पचास से कम नहीं है या ऐसी छोटी संख्या जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जा सकती है;
- (छ) **'गारंटी'** का अभिप्राय: लाभ या प्रीमियम या शुल्क से संबंधित शर्तें हैं, जिन्हें पॉलिसी की अवधि के दौरान बदला नहीं जाएगा;
- (ज) **'व्यक्तिगत व्यवसाय'** का अभिप्राय: एकल/संयुक्त जीवन पर जारी व्यक्तिगत बीमा पॉलिसियों से है;
- (झ) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए **'बीमाकर्ता'** का अभिप्राय: जीवन बीमा व्यवसाय करने वाला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय है;
- (ञ) **'अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय'** का वही अभिप्राय: होगा जो इसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र

प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय का पंजीकरण) विनियम, 2021 के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ट) के अधीन दिया गया है;

- (ट) 'गणितीय रिजर्व' का अभिप्रायः बीमाकर्ता द्वारा देयताओं को समाहित करने के लिए किया गया प्रावधान है (देयताएं जो देय हो गई हैं और किसी भी पॉलिसी के संबंध में डिपॉजिट बैंक अरेंजमेंट से उत्पन्न होने वाली देयताओं को छोड़कर, जीवन बीमा व्यवसाय की नीतियों या अनुबंधों के अधीन या उनके संबंध में जिसके अधीन पुनर्बीमाकर्ता द्वारा देनदार के पास राशि जमा की जाती है)। गणितीय रिजर्व में मृत्यु दर और रुग्णता दर जैसे आधारों के प्रतिकूल विचलन के लिए विशिष्ट प्रावधान भी शामिल हैं; ब्याज दरें और व्यय दरें; और नियमों के अनुसार देयताओं के मूल्यांकन में किए गए किसी भी स्पष्ट प्रावधान।
- (ठ) 'परिपक्वता तारीख' का अभिप्रायः उस निश्चित तारीख से है जिस पर लाभ पूर्ण रूप से या आकस्मिक रूप से देय हो सकता है;
- (ड) 'गैर-बराबर नीतियां' या 'लाभों में भागीदारी के बिना नीतियां' का अभिप्रायः ऐसी नीतियों से है जो पॉलिसी की अवधि के दौरान अधिशेष (लाभ) में किसी भी अंशकी हकदार नहीं हैं;
- (ढ) 'विकल्प' का अभिप्रायः पॉलिसीधारक को पॉलिसी के अधीन उपलब्ध अधिकार हैं;
- (ण) 'समान नीतियां' या 'लाभों में भागीदारी वाली नीतियां' का अभिप्रायः ऐसी नीति से है जो गैर-बराबर पॉलिसियां नहीं हैं।
- (त) 'लाभों में आस्थगित भागीदारी वाली पॉलिसियां' का अभिप्रायः है पॉलिसी के आरंभ होने की तारीख से निश्चित अवधि के बाद लाभ में भागीदारी के लिए पात्र नीतियां;
- (थ) 'प्रीमियम अवधि' का अभिप्रायः है वह अवधि जिसके दौरान प्रीमियम देय हैं;
- (द) 'राइडर्स' या 'राइडर बेनिफिट्स' का अभिप्रायः ऐड-ऑन बेनिफिट्स से है जो किसी पॉलिसी के अधीन आधारभूत लाभों के अतिरिक्त हैं;
- (ध) जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में 'राशि पर जोखिम' का अभिप्रायः है:
- (i) किसी भी मामले में देय राशि, जिसमें मृत्यु या समाहित की गई किसी अन्य आकस्मिकता पर राशि देय है, नीचे खंड (ii) को छोड़कर अन्य तरीके से,
- (ii) लाभ का वर्तमान मूल्य, जहां विचाराधीन पॉलिसी के अधीन पॉलिसी के संदर्भ में मृत्यु या किसी अन्य आकस्मिकता होने पर लाभ में वार्षिकी का भुगतान, एकमुश्त, या किस्तों में या किसी अन्य प्रकार का आवधिक भुगतान किसी भी मामले में, उस पॉलिसी के संबंध में गणितीय रिजर्व को घटा कर होता है।
- (न) 'मूल्यांकन तारीख' का अभिप्रायः वह तारीख है जिस पर मूल्यांकन किया जाता है;
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां परिभाषित नहीं हैं लेकिन अधिनियम या अधिनियम की पहली अनुसूची में वर्णित अधिनियमों या इसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या विनियमों में परिभाषित हैं, के क्रमशः वही अभिप्रायः होंगे जो उन्हें उन अधिनियमों, नियमों या विनियम या कोई वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन, जैसा भी मामला हो, में दिए गए हैं।

अध्याय II

रिपोर्ट की जाने वाली अपेक्षाएं

5. (1) आईआईओ निम्नलिखित विवरणों को यथा-निर्दिष्ट आवधिकता सहित तैयार करके प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा:

(क) अनुसूची-I में यथा-निर्दिष्ट प्ररूप एएलएसएम-जीआई-ए में ग्राह्य आस्तियों का विवरण।

(ख) अनुसूची-II में यथा-निर्दिष्ट प्ररूप एएलएसएम-जीआई-एल में देयताओं की राशि का विवरण।

(ग) अनुसूची-III में यथा-निर्दिष्ट प्ररूपएएलएसएम-जीआई-एसएम में शोधन क्षमता मार्जिन का विवरण।

(2) आईआईओ -

(क) नियुक्त बीमांकक द्वारा तैयार की गई वार्षिक बीमांकिक रिपोर्ट प्राधिकरण को यथा-निर्दिष्ट निदेशों के अनुसार और तरीके से प्रस्तुत करेगा।

(ख) नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणितआस्तियों और देयताओं का मूल्यांकन और शोधन क्षमता मार्जिन का संगणकीकरण।

स्पष्टीकरण: यह विनियम उन मामलों में भी लागू होगा जहां पूंजी का अनुरक्षण स्वदेश के विनियमों के अनुसार किया जा रहा है।

अध्याय - III

विविध उपबंध

6. निरीक्षण, अन्वेषण, सूचना और प्रकटीकरण

प्राधिकरण के पास आईआईओया मूल एंटिटी से किसी प्रकार की जानकारी मांगनेसहित किसी भी आईआईओके मामलों का निरीक्षण या अन्वेषण करने की शक्ति होगी और प्राधिकरण अपनी कार्यकलापों के संबंध में आईआईओको निर्दिष्ट कर सकता है कि वह अमुक जानकारी प्राधिकरण को प्रकट करे।

7. प्रक्रिया आदि विनिर्दिष्ट करने की शक्ति

इन विनियमों के कार्यान्वयन और उससे संबंधितमामलों के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण आईआईओद्वारा अनुपालन किए जाने वाले मानदंडों, विधियों, प्रक्रियाओं और तरीकों को निर्दिष्ट कर सकता है।

8. कठिनाइयों को दूर करने और विनियमों का कड़ाई से प्रवर्तन में ढील देने की शक्ति:

(1) इन विनियमों के उपबंधों को लागू करने या उनकी व्याख्या करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, प्राधिकरण मार्गदर्शन टिप्पणी या परिपत्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

(2) निर्दिष्ट अप्रतिदेय प्रसंस्करण शुल्क के साथ प्राप्त आवेदन पर, प्राधिकरण, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, इन विनियमों के किसी भी उपबंध का कड़ाई से प्रवर्तन किए जाने में ढील दे सकता है।

9. निरसन और व्यावृत्तियां

(1) इन विनियमों के प्रारंभ होने पर या होने की तारीख से, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियां, देयताएं और शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकक रिपोर्ट और सार)

विनियम, 2016 और इसके अधीन जारी किए गए परिपत्र या दिशानिदेश अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों पर लागू नहीं होंगे;

- (2) उप विनियम (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले, उप विनियम (1) में उल्लिखित विनियमों, दिशानिदेशों या परिपत्रों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई या किया हुआ माना गया या किया गया है तो उसे इन नियमों के संगत उपबंधों के अधीन किया गया कार्यया की गई कार्रवाई माना जाएगा।
- (3) इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कार्यरत आईआईओ, इन विनियमों के प्रारंभ होनेसे छः (6) माह की अवधि के भीतर या प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट विस्तारित समय के भीतर इन विनियमों में निर्धारित अतिरिक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

अनुसूची-I

(विनियम 5 के उप-विनियम (1) के खंड (क) का संदर्भ लें)

1. आस्तियों का मूल्यांकन

- (1) निम्नलिखित आस्तियों को शून्य मान के साथ रखा जाएगा:
 - (क) वित्तीय लिखतों को छोड़कर चल और अचल आस्तियां और प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट कोई अन्य आस्ति;
 - (ख) एजेंटों और मध्यस्थों की शेष राशि और भारत के बाहर से पॉलिसीधारकों द्वारा देय बकाया प्रीमियम, जिस सीमा तक उनकी तीस दिनों के भीतर उगाही नहीं की गई है;
 - (ग) एजेंटों और मध्यस्थों की शेष राशि और भारत के बाहर से पॉलिसीधारकों द्वारा देय बकाया प्रीमियम, जिस सीमा तक वे वसूली योग्य नहीं हैं;
 - (घ) विविध ऋण, इस हद तक वे वसूली योग्य नहीं हैं;
 - (ङ) अवास्तविक चरित्र के अग्रिम और प्राप्य;
 - (च) फर्नीचर, जुड़नार, असबाब और लेखन सामग्री;
 - (छ) आस्थगित व्यय;
 - (ज) लाभ और हानि विनियोग खाते और प्री-पेड खर्चों के अलावा किसी भी काल्पनिक आस्तियों का नामे शेष;
 - (झ) सह-बीमाकर्ता का नब्बे से अधिक दिनों से बकाया शेष;
 - (ञ) पुनर्बीमाकर्ता का 180 दिनों से अधिक बकाया शेष;
 - (ट) लीजहोल्ड सुधार;
 - (ठ) नब्बे से अधिक दिनों से बकाया माल और सेवा कर अप्रयुक्त क्रेडिट;
 - (ड) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य आस्तियां।
- (2) किसी बीमाकर्ता की अन्य सभी आस्तियों का मूल्यांकन लागू विनियमों और इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी निदेश के अनुसार किया जाएगा।

2. ग्राह्य आस्तियों का विवरण

प्रत्येक आईआईओ नीचे दिए अनुसार प्ररूप एएलएसएम-जीआई-ए में ग्राह्य आस्तियों का विवरण तैयार करेगा:

प्ररूप एएलएसएम-जीआई-ए

ग्राह्य आस्तियों का विवरण

आईआईओ का नाम:

पंजीकरण संख्या:

31 मार्च, 20XX की स्थिति के अनुसार

(सभी राशियां मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

	व्यष्टियां	पोलिसीधारक का खाता	शेयरधारक का खाता	कुल
	निवेश			
क	शेयरधारकों का निवेश			
ख	पॉलिसीधारकों का निवेश*			
ग	जुड़ी हुई देयताओं को समाहित करने के लिए रोकी गई आस्तियां**			
घ	लेखापरीक्षित बीएस के अनुसार कुल निवेश (क+ख+ग)			
ङ	अनुसूची-1 के खंड (1) के अधीन अभिनिर्धारित अग्राह्य निवेश आस्तियां			
	स्थायी आस्तियां			
च	लेखापरीक्षित बीएस के अनुसार स्थायी आस्तियां			
छ	अनुसूची-1 के खंड (1) के अधीन अभिनिर्धारित अग्राह्य स्थायी आस्तियां			
	वर्तमान आस्तियां			
ज	लेखापरीक्षित बीएस के अनुसार नकद और बैंक शेष			
झ	लेखापरीक्षित बीएस के अनुसार अग्रिम और अन्य आस्तियां			
ञ	लेखापरीक्षित बीएस के अनुसार कुल वर्तमान आस्तियां =(ज)+(झ)			
ट	अनुसूची-1 के खंड (1) के अधीन अभिनिर्धारित अग्राह्य वर्तमान आस्तियां			
ठ	लेखापरीक्षितबीएस के अनुसार वर्तमान देयताएं			
ड	न्यूनतम शून्य के अध्यक्ष निष्पक्ष मूल्य परिवर्तन खाता			
ढ	लेखापरीक्षितबीएस के अनुसार कुल आस्तियां (ढ) = (घ)+(च)+(ज)+(ठ)			

ण	कुल अग्राह्य आस्तियां(ण)=(इ)+(छ)+(ट)+(ढ)			
त	कुल अग्राह्य आस्तियों से इतर कुल आस्तियां (त)=(ढ)+(ण)			
	वर्तमान देयताएं और प्रावधान			
थ	लेखापरीक्षितबीएस के अनुसार वर्तमान आस्तियां			
द	लेखापरीक्षितबीएस के अनुसार प्रावधान			
ध	कुल वर्तमान देयताएं और प्रावधान =(थ) + (द)			
	शोधन क्षमता के लिए कुल ग्राह्य आस्तियां= (त) - (ध)			
टिप्पणी:				
विवरण में ऊपर दिए गए खंड 1 के अनुसार आस्तियों की उपर्युक्त श्रेणियों का मूल्य दिखाया जाएगा।				

'बीएस' 'तुलनपत्र' को इंगित करता है

* 'पॉलिसीधारकों की संपत्ति' में संबद्ध व्यवसाय की गैर-इकाई देयताओं को समर्थन देने वाली आस्तियां शामिल होनी चाहिए।

** 'संबद्ध देयताओं को कवर करने के लिए रखी गई आस्ति' में केवल इकाई देयताओं का समर्थन करने वाली आस्तियां शामिल होंगी।

हम प्रमाणित करते हैं कि विवरण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए आस्तियां, देयताएं, शोधनक्षमता मार्जिन और बीमांकिक रिपोर्ट) विनियम, 2023 की अनुसूची-I के अनुसार तैयार किया गया है।

स्थान:

तारीख:

मुख्य वित्तीय अधिकारी
सांविधिक लेखापरीक्षक

नियुक्त बीमांकक
प्रधान अधिकारी

अनुसूची - II

(विनियम 5 के उप-विनियम (1) के खंड (क) का संदर्भ लें)

1. व्याख्या: इस अनुसूची में,

(1) बीमांकिक जांच के संबंध में 'मूल्यांकन तारीख' का अभिप्राय: है वह तारीख जिससे जांच संबंधित है।

(2) 'पॉलिसी खाते' का अभिप्राय: है परिवर्तनीय संबद्ध और परिवर्तनीय असंबद्ध व्यवसाय के लिए निर्धारित निधियां।

2. मूल्यांकन रीतिविधान

(1) गणितीय रिजर्व के निर्धारण की विधि:

क. यहां खंड 2(1)(ख) से खंड 2(1)(घ) के अनुसार मूल्यांकन की संभावित विधि अपनाकर प्रत्येक बीमा पॉलिसी के लिए गणितीय रिजर्व निर्धारित किए जाएंगे।

- ख. मूल्यांकन विधि में सभी संभावित आकस्मिकताओं को ध्यान में रखा जाएगा, जिसके अधीन पॉलिसी की शर्तों द्वारा निर्धारित किसी भी प्रीमियम या लाभ को पॉलिसी के अधीन देय किया जाएगा। लाभ का स्तर, जो पॉलिसी के अधीन देय होगा, पॉलिसीधारकों की उचित अपेक्षाओं (बोनस के संबंध में, टर्मिनल बोनस सहित, यदि कोई हो) और लाभ के भुगतान के लिए बीमाकर्ता की किसी स्थापित प्रथाओं सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाएगा।
- ग. मूल्यांकन विधि किसी भी विकल्प और गारंटी की लागत को ध्यान में रखेगी जो पॉलिसीधारक को बीमा पॉलिसी की शर्तों के अधीन उपलब्ध हो सकती है।
- घ. प्रत्येक पॉलिसी के अधीन देयता की राशि का निर्धारण सभी प्रासंगिक मानकों की विवेकपूर्ण धारणाओं पर आधारित होगा। ऐसे प्रत्येक मापदंड का मूल्य बीमाकर्ता के अपेक्षित अनुभव पर आधारित होगा और इसमें प्रतिकूल विचलन (इसके बाद इसे 'एमएडी' कहा जाएगा) के लिए उपयुक्त मार्जिन शामिल होगा, जिसके परिणामस्वरूप गणितीय रिजर्व की मात्रा में वृद्धि हो सकती है।
- ङ. पॉलिसी के संबंध में उपर्युक्त खंड 2 (1) (घ) के अनुसार निर्धारित की गई गणितीय रिजर्व की राशि, मूल्यांकन की तारीख को ऋणात्मक हो सकती है (जिसे 'नकारात्मक रिजर्व' कहा जाएगा) या उपलब्ध समर्पण मूल्य से कम (जिसे 'समर्पण मूल्य न्यूनता रिजर्व' कहा जाएगा) हो सकती है।

टिप्पणी:

- i. इस उद्देश्य के लिए समर्पण मूल्य विशेष समर्पण मूल्य और गारंटीकृत समर्पण मूल्य से अधिक होगा।
- ii. नियुक्त बीमांकक, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 35 के प्रयोजन के लिए, बिना किसी संशोधन के ऐसे गणितीय रिजर्व की राशि का उपयोग करेगा;
- iii. नियुक्त बीमांकक इस प्रकार के नकारात्मक रिजर्व के मामले में, या समर्पण मूल्य के लिए, इस प्रकार के समर्पण मूल्य न्यूनता रिजर्व के मामले में, जैसा भी मामला हो, इस तरह के गणितीय रिजर्व की राशि शून्य पर निर्धारित करेगा।
- च. निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, 'सकल प्रीमियम मूल्यांकन' को मूल्यांकन विधि के रूप में अपनाया जाएगा:
- i. समूह व्यवसाय से जुड़े राइडर्स सहित एक वर्ष का पुनर्नवीकृत समूह आवधिक बीमा जिसमें अनर्जित प्रीमियम, प्रीमियम की न्यूनता और किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए दावों के लिए रिजर्व की अनुमति होगी।
- ii. अलग-अलग उत्पादों से जुड़े राइडर्स जिनमें रिजर्व सकल प्रीमियम मूल्यांकन रिजर्व और अनर्जित प्रीमियम रिजर्व से अधिक होगा।
- छ. व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए, नियुक्त बीमांकक किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए दावों के संबंध में अतिरिक्त रिजर्व रख सकता है।
- ज. यदि नियुक्त बीमांकक की राय में, सकल प्रीमियम मूल्यांकन के अलावा मूल्यांकन की विधि अपनाई जानी है, तो, अन्य सन्निकटन विधियों (जैसे पूर्वव्यापी विधि) का उपयोग किया जा सकता है।
- बशर्ते कि,** परिकलित रिजर्व की राशि कम से कम उस राशि के बराबर होने की आशा है जो सकल प्रीमियम मूल्यांकन विधि के अनुप्रयोग से सृजित की जाएगी।

- i. देयताओं की राशि की गणना की विधि और मूल्यांकन मापदंडों के लिए अवधारणा एक वर्ष से अगले वर्ष तक मनमाने ढंग से बंद करने के अधीन नहीं होगी।

(2) पॉलिसी नकदी प्रवाह:

मूल्यांकन की सकल प्रीमियम विधि निम्नलिखित भावी पॉलिसी के नकदी प्रवाहों को उचित ब्याज दर पर छूट देगी:

क. मृत्यु पर; जीवित रहने पर; बीमा पॉलिसी की स्वैच्छिक समाप्ति पर, और निम्नलिखित, यदि कोई हो, जैसा भी मामला हो, पर देय प्रीमियम और लाभ, यदि कोई हो; -

- i. आधारभूत लाभ,
- ii. राइडर लाभ,

- iii. बोनस, जो मूल्यांकन की तारीखको पहले ही निहित हो चुके हैं,
- iv. मूल्यांकन तारीखको मूल्यांकन के परिणामस्वरूप बोनस, और
- v. टर्मिनल बोनस सहित (ब्याज की मूल्यांकन दर के अनुरूप) भावी बोनस (मूल्यांकन तारीख के एक वर्ष बाद);

(ख) पॉलिसी के संबंध में **देय कमीशन और पारिश्रमिक**, यदि कोई हो (यह बीमाकर्ता की वर्तमान प्रेक्टिस पर आधारित होगा)। त्यागी हुई पॉलिसियों के संबंध में कमीशन का भुगतान न करने पर कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा।

(ग) खंड 2(4)(ग) के अधीनयथा-प्रदत्त पॉलिसी के संबंध में **पॉलिसी अनुरक्षण व्यय**, यदि कोई हो;

(घ) **शेयरधारकों को लाभ का आवंटन**, यदि कोई हो, जहां शेयरधारकों के लिए लाभ और पॉलिसीधारकों के लिए घोषित बोनस दरों के बीच निर्दिष्ट संबंध है।

बशर्ते कि कर, यदि कोई हो, के लिए भत्ता दिया जाना चाहिए।

(3) नीति विकल्प और गारंटी:

जहां कोई पॉलिसी बिल्ट-इन विकल्प प्रदान करती है जिसका उपयोग पॉलिसीधारक द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि अच्छे स्वास्थ्य के किसी भी सबूत के बिना भविष्य की तारीख (तारीखों) में कवरेज का परिवर्तन या परिवर्धन, या गारंटी, जैसे कि बीमा पॉलिसी की परिपक्वता पर वार्षिकी दर की गारंटी, निवेश गारंटी आदि, ऐसे विकल्पों या गारंटी की लागत का अनुमान लगाया जाएगा और गणितीय रिजर्व की गणना में विशेष नकदी प्रवाह के रूप में माना जाएगा।

(4) मूल्यांकन मापदंड:

(क) मूल्यांकन मानदंड वे आधार बनेंगे जिनके पर भावी पॉलिसी नकदी प्रवाह की गणना और छूट दी जाएगी। प्रत्येक मापदंड मूल्यांकित किए जाने वाले व्यवसाय ब्लॉक के लिए उपयुक्त होना चाहिए। नियुक्त बीमांकक निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा,

- (i) मापदंड का मान बीमाकर्ता के अनुभव अध्ययन, जहां उपलब्ध हो, पर आधारित होगा। यदि विश्वसनीय अनुभव अध्ययन उपलब्ध नहीं है, तो मूल्य उद्योग अध्ययन पर आधारित हो सकता है, यदि यह उपलब्ध हो और उपयुक्त हो। यदि कोई अध्ययन उपलब्ध नहीं है, तो मूल्य उत्पाद के मूल्य निर्धारण के लिए उपयोग किए गए आधारों पर आधारित होंगे। किसी मापदंड के अपेक्षित स्तर को स्थापित करने में, अनुभव में किसी संभावित गिरावट को ध्यान में रखा जाएगा;
- (ii) खंड 2(4)(क)(i) में यथा-निर्धारित अपेक्षित स्तर, प्रतिकूल विचलन (एमएडी) के लिए समुचित मार्जिन से समायोजित किया जाएगा, एमएडी का स्तर अपेक्षित स्तर में विश्वास के स्तर पर निर्भर करता है और प्रत्येक मापदंड में ऐसा एमएडी भारतीय बीमांकक संस्थान या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य निकाय द्वारा जारी बीमांकक प्रेक्टिस मानकों/मार्गदर्शन टिप्पणियों पर आधारित होगा।
- (iii) विभिन्न मूल्यांकन मापदंडों के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल्य आपस में सुसंगत होने चाहिए।

(ख) उपयोग की जाने वाली मृत्यु दर और रुग्णता दर प्रकाशित तालिका के संदर्भ में होगी, जब तक कि बीमाकर्ता ने अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर अलग तालिका का निर्माण नहीं किया हो:

(ग) पॉलिसी अनुरक्षण व्यय बीमाकर्ता के वास्तविक व्यय अनुभव के अनुरूप होगा। मुद्रास्फीति के लिए भविष्य के वर्षों में सभी खर्चों में वृद्धि की जाएगी; मुद्रास्फीति की अनुमानित दर ब्याज की मूल्यांकन दर के अनुरूप होनी चाहिए।

बशर्ते कि मूल्यांकन के लिए वास्तविक अनुभव पर विचार नहीं किए जाने पर उपयुक्त अतिरिक्त उपबंध बनाए जाएंगे।

बशर्ते यह भी कि उपर्युक्त उपबंध व्यवसाय शुरू करने की तारीख से पहले के पांच वर्षों के लिए अनिगमित रूप में स्थापित और जीवन बीमा व्यवसाय करने वाले आईआईओपर लागू नहीं होंगे।

(घ) नियुक्त बीमांकक द्वारा उपयोग की जाने वाली **ब्याज की मूल्यांकन दर** -

(i) इसके उपर्युक्त खंड 2 (2) में निर्दिष्ट पॉलिसी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना, ब्याज की दरों से अधिक नहीं होगी, जो कि जीवन बीमा ब्लॉकों के कारण मौजूदा आस्तियों की उपज के विवेकपूर्ण मूल्यांकन, व्यवसाय और प्रतिफल जो बीमाकर्ता को भविष्य में निवेश की जाने वाली राशि से प्राप्त होने की आशा है, से निर्धारित होती है और इस तरह के मूल्यांकन में निम्नांकित को ध्यान में रखा जाएगा-

- क. देयताओं का समर्थन करने वाली आस्तियों का संघटन, हस्तगत निवेश से अपेक्षित नकदी प्रवाह, पॉलिसी ब्लॉक से नकदी प्रवाह का मूल्य, संभावित निवेश की भावी स्थिति और भावी निवल नकदी प्रवाह से निपटने के लिए लगाई जाने वाली पुनर्निवेश और विनिवेश रणनीति;
- ख. ऐसे निवेश या मूलधन के प्रतिदाय पर आय की प्राप्ति के संबंध में निवेश से जुड़े जोखिम;
- ग. बीमाकर्ता के निवेश कार्यों से संबंधित खर्च;

(ii) ब्याज की मूल्यांकन दर बीमा पॉलिसियों की किसी विशेष श्रेणी के संबंध में पॉलिसी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना के लिए, संपर्कों की ऐसी श्रेणी के प्रयोजन के लिए अनुरक्षित आस्तिके प्रतिफल से अधिक नहीं होगी;

(iii) गैर-सहभागी व्यवसाय के संबंध में, ब्याज मूल्यांकन दर भविष्य की ब्याज दरों में गिरावट के जोखिम को महत्व देगी;

(iv) सहभागी व्यवसाय के संबंध में, ब्याज मूल्यांकन दर इस धारणा (भविष्य की निवेश स्थितियों के संबंध में) पर आधारित होगी कि मूल्यांकन में उपयोग किए जाने वाले भविष्य के बोनस का पैमाना ब्याज की मूल्यांकन दर के अनुरूप हो।

(ड) यदि मूल्यांकन के लिए विचार किया जाता है तो चूक दर, उत्पाद या इसी तरह के उत्पादों के पिछले अनुभव पर आधारित विवेकपूर्ण धारणा होनी चाहिए और इसमें उत्पादों की प्रकृति, लक्षित बाजार, वितरण चैनल आदि के आधार पर अपेक्षित भविष्य के अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा।

(च) पॉलिसी के प्रकार के आधार पर अन्य मापदंडों को ध्यान में रखा जा सकता है। ऐसे मापदंडों के मूल्यों को स्थापित करने में, इस अनुसूची में निर्धारित विचारों को ध्यान में रखा जाएगा।

(छ) प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना बीमाकर्ता के पुनर्बीमाकर्ताओं से किसी भी प्रकार के जमा या क्रेडिट के रूप में उधार लेने के तत्व के साथ पुनर्बीमा व्यवस्था को आवश्यक शोधन क्षमता के निर्धारण के उद्देश्य से पुनर्बीमा के लिए क्रेडिट नहीं माना जाएगा।

(ज) यदि पुनर्बीमा प्रीमियम और पुनर्बीमाकर्ता से दावा वसूली के लिए लिए गए क्रेडिट के संबंध में व्यय की अनुमति देते हुए गणितीय रिजर्व की गणना की जाती है, तो मूल्यांकन आधार और तरीके इस अनुसूची के अनुसार होंगे।

(झ) बीमाकर्ताओं द्वारा सौंपे गए व्यवसाय के संबंध में, यह अनुसूची बीमाकर्ता द्वारा रखी गई जोखिम वाली निवल राशियों पर लागू होगी।

(5) इकाई संबद्ध व्यवसाय के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएं:

(क) इकाई संबद्ध व्यवसाय के संबंध में रिजर्व में दो घटक, अर्थात् इकाई रिजर्व और सामान्य (गैर-इकाई) निधि रिजर्व शामिल होंगे।

(ख) इकाई रिजर्व की गणना मूल्यांकनतारीख को इकाई मूल्य का उपयोग करके मूल्यांकनतारीख को लागू नीतियों के लिए आवंटित यूनिटों के संबंध में की जाएगी।

(ग) सामान्य (गैर-इकाई) निधि रिजर्व को रियायती नकदी प्रवाह विधि का उपयोग करके निर्धारित किया जाएगा, जो निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा, अर्थात् -

- (i) भविष्य में देय प्रीमियम, यदि कोई हो;

- (ii) मृत्यु लाभ, यदि कोई हो, सामान्य (गैर-इकाई) निधि रिजर्व (इकाइयों के मूल्य से अधिक) द्वारा प्रदान किया गया;
- (iii) सामान्य (गैर-इकाई) निधि को भुगतान किए गए प्रबंधन शुल्क;
- (iv) समर्पणमूल्य या न्यूनतम मृत्यु और परिपक्वता लाभ से संबंधित गारंटी, यदि कोई हो;
- (v) निधि विकास दर और प्रबंधन शुल्क। (इन मापदंडों के मान, अन्य के साथ, उपर्युक्त खंड 2(4)(घ) के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे);
- (vi) सकारात्मक अवशिष्ट परिवर्धन, यदि कोई हो,

स्पष्टीकरण: सकारात्मक अवशिष्ट परिवर्धन की गणना के लिए अपनाई जाने वाली गणना विधिसमय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी।

- (vii) भविष्य के किसी भी नकारात्मक नकदी प्रवाह को रिजर्व स्थापित करके उचित रूप से प्रदान किया जाएगा; और नकारात्मकरिजर्व, यदि कोई हो, को शून्य पर सेट कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इकाईसंबद्ध नीतियों के अधीन सामान्य (गैर-इकाई) निधि रिजर्व को निवेश मानदंडों, अधिशेष के वितरण आदि के उद्देश्य से गैर-संबद्ध गैर-सहभागी व्यवसाय के लिए रिजर्व माना जाएगा।

(6) परिवर्तनीय संबद्धव्यवसाय के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएं:

- (क) परिवर्तनीय संबद्ध व्यवसाय के संबंध में रिजर्व में दो घटक अर्थात् पॉलिसी खाता रिजर्व और सामान्य निधि रिजर्व शामिल होंगे।
- (ख) पॉलिसी खाता रिजर्व वह राशि होगी जो मूल्यांकन की तारीख को पॉलिसी खाते में शेष होगी।
- (ग) सामान्य निधिरिजर्व को रियायती नकदी प्रवाह विधि का उपयोग करके निर्धारित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात्: -
 - (i) भविष्य में देय प्रीमियम, यदि कोई हो;
 - (ii) सामान्य निधि द्वारा प्रदत्त मृत्यु लाभ, यदि कोई हो, (पॉलिसी खाते के मूल्य के अतिरिक्त);
 - (iii) सामान्य निधि को प्रदत्त प्रबंधन शुल्क;
 - (iv) समर्पणमूल्य या न्यूनतम मृत्यु और परिपक्वता लाभ से संबंधित गारंटी, यदि कोई हो;
 - (v) पॉलिसी खाता विकास दर और प्रबंधन शुल्क। (अन्य के साथ इन मापदंडों के मान, इस अनुसूची के खंड 2(4)(घ) के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे);
 - (vi) सकारात्मक अवशिष्ट परिवर्धन, यदि कोई हो;
 - (vii) भविष्य के किसी भी नकारात्मक नकदी प्रवाह को रिजर्व स्थापित करके उचित रूप से प्रदान किया जाएगा; और नकारात्मक रिजर्व, यदि कोई हो, शून्य पर सेट किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: परिवर्तनीयसंबद्धव्यवसाय के अधीन सामान्य निधि रिजर्व को निवेश मानदंडों, अधिशेष के वितरण आदि के उद्देश्य से असंबद्धगैर-सहभागीव्यवसाय के लिए रिजर्व के रूप में माना जाएगा।

(7) परिवर्तनीय असंबद्धव्यवसाय (सहभागी और गैर-सहभागी) के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएं:

- (क) परिवर्तनीय असंबद्ध व्यवसाय के संबंध में रिजर्व में दो घटक शामिल होंगे, अर्थात् पॉलिसी खाता रिजर्व और सामान्य निधि रिजर्व।
- (ख) पॉलिसी खाता रिजर्व मूल्यांकन की तारीख को पॉलिसी खाते में शेष राशि होगी।

- (ग) सामान्य निधिरिजर्व को रियायती नकदी प्रवाह विधि का उपयोग करके निर्धारित किया जाएगा, जो निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा, अर्थात्: -
- (i) भविष्य में देय प्रीमियम, यदि कोई हो;
 - (ii) मृत्यु लाभ, यदि कोई हो, सामान्य निधि द्वारा प्रदान किया जाता है (पॉलिसी खाते के मूल्य के अतिरिक्त);
 - (iii) सामान्य निधि को भुगतान किए गए प्रबंधन शुल्क;
 - (iv) समर्पण मूल्य या न्यूनतम मृत्यु और परिपक्वता लाभ से संबंधित गारंटी, यदि कोई हो;
 - (v) पॉलिसी खाता विकास दर और प्रबंधन शुल्क। (इन मापदंडों के मान, अन्य के साथ, इस अनुसूची के खंड 2(4)(घ) के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे);
 - (vi) सकारात्मक अवशिष्ट परिवर्धन, यदि कोई हो,
 - (vii) भविष्य के किसी भी नकारात्मक नकदी प्रवाह को रिजर्व स्थापित करके उचित रूप से प्रदान किया जाएगा; और नकारात्मकरिजर्व, यदि कोई हो, को शून्य पर सेट कर दिया जाएगा।
 - (viii) टर्मिनल बोनस (मूल्यांकन की तारीख के एक वर्ष बाद) सहित भावीबोनस (ब्याज की मूल्यांकन दर के अनुरूप)
 - (ix) कर, यदि कोई हो, के लिए भत्ता दिया जाना चाहिए।
 - (x) शेयरधारकों को लाभ का आवंटन, यदि कोई हो, जहां शेयरधारकों के लिए लाभ और पॉलिसीधारकों के लिए घोषित बोनस दरों के बीच निर्दिष्ट संबंध है।

स्पष्टीकरण: परिवर्तनीय असंबद्ध सहभागी और गैर-सहभागीव्यवसाय के अधीन सामान्य निधि रिजर्व को संबंधित व्यवसायों के लिए निवेश मानदंडों, अधिशेष के वितरण आदि के दृश्य से रिजर्व के रूप में माना जाएगा।

- (8) **प्रावधानों के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएँ:** नियुक्त बीमांकक निम्नलिखित मामलों में समग्र प्रावधान करेगा, जहाँ गणितीय रिजर्वों के निर्धारण में प्रत्येक नीति के लिए गणितीय रिजर्वों की गणना करना संभव नहीं है, :-

- (क) ऐसी नीतियां जिनके संबंध में निम्न स्तर के जीवन की हामीदारी के कारण अतिरिक्त प्रीमियम वसूला गया है, जो व्यवसाय के जोखिम, अधिक वजन, कम वजन, धूम्रपान का इतिहास, स्वास्थ्य, जलवायु या भौगोलिक परिस्थितियों जैसे अतिरिक्त जोखिमों के अध्यधीन हैं;
- (ख) व्यपगत पॉलिसियाँ, जो मूल्यांकन में शामिल नहीं हैं, लेकिन जिसके अधीन देयता मौजूद है या उत्पन्न हो सकती है;
- (ग) व्यक्तिगत और समूह बीमा पॉलिसियों के अधीन उपलब्ध विकल्प;
- (घ) व्यक्तिगत और समूह बीमा पॉलिसियों के लिए उपलब्ध गारंटी;
- (ङ) विनिमय की दरें जिन पर विदेशी मुद्राओं में जारी की गई नीतियों के संबंध में लाभ भारतीय रुपये में परिवर्तित किए गए हैं और विनिमय की दरों में भावी परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले गणितीय रिजर्वों की संभावित वृद्धि के लिए क्या प्रावधान किया गया है;
- (च) अन्य, यदि कोई हो।

प्ररूप एएलएसएम-एल-एल

मूल्यांकन का सार

आईआईओ का नाम
पंजीकरण संख्या

31 मार्च, 20XX की स्थिति के अनुसार

(सभी राशियां मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

मद सं.	व्यवसाय की श्रेणी	पुनर्बीमा से पूर्व गणितीय रिजर्व	पुनर्बीमा के बाद गणितीय रिजर्व	पुनर्बीमा से पूर्व जोखिम में राशि	पुनर्बीमा के बाद जोखिम में राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
	कुल				

टिप्पणी:

गणितीय रिजर्व आवंटित बोनस की लागत सहित और इस अनुसूची के खंड 1 और 2 के अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे।

अनुसूची-III

(विनियम 5 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) का संदर्भ लें)

शोधन क्षमता मार्जिन का विवरण

1. व्याख्या: इस अनुसूची में,

- (1) 'उपलब्ध शोधन क्षमता मार्जिन' का अभिप्राय: जीवन बीमा देयताओं (प्ररूप एएलएसएम-एल-एल में प्रस्तुत) और पॉलिसीधारकों की निधि और शेयरधारकों की निधि की अन्य देयताओं के मूल्य से अधिक आस्ति के मूल्य (जैसा कि एएलएसएम-एल-एल में प्रस्तुत किया गया है) से है।
- (2) 'शोधन क्षमता अनुपात' का अभिप्राय: प्ररूप एएलएसएम-एल-एसएम3 में निर्दिष्ट आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन के लिए उपलब्ध शोधन क्षमता मार्जिन का अनुपात है।
- (3) आईआईओद्वारा बनाए रखे जाने के लिए 'शोधन क्षमता का नियंत्रण स्तर' किसी अन्य उपचारात्मक उपाय को उचित समझे जाने के पूर्वाग्रह के बिना शोधन क्षमता मार्जिन के निर्दिष्ट स्तर से संदर्भित है। शोधन क्षमता का नियंत्रण स्तर 150% के न्यूनतम शोधन क्षमता अनुपात के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है।

प्ररूपएएलएसएम-एल-एसएम1

गणितीय रिजर्व पर आधारित अपेक्षित शोधन क्षमता मार्जिन और जोखिम पर राशि

आईआईओ का नाम
पंजीकरण संख्या

31 मार्च, 20XX की स्थिति के अनुसार

(सभी राशियां मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

मद सं	व्यवसाय की श्रेणी	पुनर्बीमा से पूर्व गणितीय रिजर्व	पुनर्बीमा के बाद गणितीय रिजर्व	पुनर्बीमा से पूर्व जोखिम में राशि	पुनर्बीमा के बाद जोखिम में राशि	कारक क	कारक ख	आर एस एम1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01								
02								
03								
	कुल							

टिप्पणियां:

1. व्यवसाय के वर्गों के लिए कारक क और कारक ख निम्नानुसार हैं:

श्रेणी	प्रभाग	कारक क	कारक ख* (वार्षिकी से इतर)
असंबद्ध	व्यक्तिगत	3.00%	0.30%
असंबद्ध	समूह	1.00%	0.10%
संबद्ध	प्रत्याभूति सहित	1.50%	0.20%
संबद्ध	प्रत्याभूति रहित	0.50%	0.20%

*समस्त वार्षिकी व्यवसाय के लिए कारक ख 0% पर होगा

2. जब भी आवश्यक हो, प्राधिकरण परिपत्र जारी करके कारक क और ख को संशोधित करेगा।

3. आरएसएम 1 = ((पुनर्बीमा के बाद उच्चतर गणितीय रिजर्व या पुनर्बीमा से पूर्व उच्चतर गणितीय रिजर्व)*0.85)*कारक क + ((पुनर्बीमा के बाद जोखिम में राशि या पुनर्बीमा से पूर्व जोखिम में राशि)*0.5) * कारक ख।

4. शोधन क्षमता मार्जिन की संगणना के लिए व्यवसाय की समस्त श्रेणियों के लिए कुल आरएसएम 1 पर विचार किया जाएगा।

5. अनिगमित रूप में स्थापित आईओओ भी प्राधिकरण को प्ररूप एएलएसएम-एल-एसएम1' प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि प्राधिकरण किसी आईआईओकी मूल एंटीटी के लिए लागू नियामक ढांचे के आधार पर उपर्युक्त रिपोर्टिंग प्ररूप से विचलन की अनुमति दे सकता है।

प्रमाणीकरण

हम प्रमाणित करते हैं कि विवरण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए आस्ति, देयताएं, शोधन क्षमता मार्जिन और बीमांकिक रिपोर्ट का सार) विनियम, 2023 की अनुसूची-III के अनुसार तैयार किया गया है।

नाम:

स्थान:

मुख्य वित्तीय अधिकारी
नियुक्त बीमांकक
सांविधिक लेखापरीक्षक
प्रधान अधिकारी

प्ररूप एएलएसएम-एल-एसएम2

31 मार्च 20XX की स्थिति के अनुसार

निवेश जोखिम के आधार पर आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या :

(सभी राशियां मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

निवेश की श्रेणियां	प्ररूप एएलएसएम-एल-ए के अनुसार ग्राह्य आस्तियां	कारक ग	आरएसएम 2
	(1)	(2)	(3)
ऋण मुचुअल फंड सहित बांड और निश्चित आय वाले अन्य लिखत			
आईसीएस-आरसी 1		0.00%	
आईसीएस-आरसी 2 और 3		1.00%	
आईसीएस-आरसी 4 और नीचे		5.00%	
ऋण, कारपोरेट और बैंक जमा और समान राइट्स			
आईसीएस-आरसी 1		0.00%	
आईसीएस-आरसी 2 और 3		1.00%	
आईसीएस-आरसी 4 और न्यून दरांकित		5.00%	
इक्विटी म्युचुअल फंड सहित सूचीबद्ध इक्विटी और इक्विटी जैसी लिखतें		5.00%	
अधिमान शेयर		5.00%	
केवल वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) केवल श्रेणी 1 और 2		0.00%	
अन्य		5.00%	
कुल*			

टिप्पणी:

1. प्राधिकरण, जब वह उचित समझे, कारक ग को संशोधित कर सकता है।
2. आरएसएम2 = प्ररूप एएलएसएम-एल-ए* कारक ग के अनुसार ग्राह्य आस्तियां।
3. शोधन क्षमता मार्जिन की गणना के लिए सभी आस्तियों के लिए कुल आरएसएम2 पर विचार किया जाएगा।
4. इश्योरेंस कैपिटल स्टैंडर्ड्स - इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इश्योरेंस सुपरवाइजर्स (आईएआईएस) द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग श्रेणियां (आईसीएस-आरसी), जब तक कि प्राधिकरण द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

प्रमाणीकरण:

हम प्रमाणित करते हैं कि विवरण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए आस्तियां, देयताएं, शोधन क्षमता मार्जिन और बीमांकिक रिपोर्ट का सार) विनियम, 2023 की अनुसूची-III के अनुसार तैयार किया गया है।

स्थान:

तारीख:

मुख्य वित्तीय अधिकारी:

नियुक्त बीमांकक

प्रधान अधिकारी

प्ररूप एएलएसएम-एल-एसएम3
शोधन क्षमता अनुपात
31 मार्च, 20XX की स्थिति के अनुसार

आईआईओ का नाम:
पंजीकरण संख्या

(सभी राशियां मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

मद	विवरण	टिप्पणी संख्या	मूल्य
01	पॉलिसीधारकों की निधि में उपलब्ध आस्तियां	1	
	कटौती:		
02	गणितीय रिजर्व	2	
03	अन्य देयताएं	3	
04	पॉलिसीधारकों की निधियों में अधिकता (01-02-03)		
05	शेयरधारक निधि में उपलब्ध आस्तियां	4	
	कटौती:		
06	शेयरधारकों की निधि की अन्य देयताएं	3	
07	शेयरधारकों की निधि में अधिकता		
08	कुल एएसएम (04)+(07)		
09	आरएसएम1	5	
10	आरएसएम2	6	
11	कुल आरएसएम (आरएसएम1+आरएसएम2)		
12	शोधन क्षमता अनुपात (एएसएम/आरएसएम		

टिप्पणी:

1. मद संख्या 01 शोधन क्षमता के लिए कुल ग्राह्यआस्ति की राशि होगी जैसा कि प्ररूप एएलएसएम-एल-ए में उल्लिखित है;
2. मद संख्या 02 गणितीय रिजर्व की राशि होगी जैसा कि प्ररूप एएलएसएम-एल-एल में उल्लिखित है;
3. मद संख्या 03 और 06 तुलनपत्र में उल्लिखित अन्य देयताओं की राशि होगी;
4. मद संख्या 05 शोधन क्षमता के लिए कुल ग्राह्यआस्ति की राशि होगी जैसा कि प्ररूप एएलएसएम-एल-ए में शेयरधारकों के खातों में उल्लिखित है;
5. मद संख्या 09 एंटीटी स्तर पर आरएसएम 1 की कुल राशि होगी, जैसा कि प्ररूप एएलएसएम-एल-एसएम1 में उल्लिखित है;
6. मद संख्या 10 एंटीटी स्तर पर आरएसएम 2 की कुल राशि होगी, जैसा कि प्ररूप एएलएसएम-एल-एसएम2 में उल्लिखित है;

हम प्रमाणित करते हैं कि विवरण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए आस्तियां, देयताएं, शोधन क्षमता मार्जिन और बीमांकिक रिपोर्ट का सार) विनियम, 2023 की अनुसूची-III के अनुसार तैयार किया गया है।

नाम:

स्थान:

मुख्य वित्तीय अधिकारी

नियुक्त बीमांकक

सांविधिक लेखापरीक्षक

प्रधान अधिकारी

इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./27/2023-24]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY**NOTIFICATION**

Gandhinagar, the 19th April, 2023

International Financial Services Centres Authority (Assets, Liabilities, Solvency Margin and Abstract of Actuarial Report for Life Insurance Business) Regulations, 2023

IFSCA/2022-23/GN/REG039.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, and clauses (g), (y), (z), (za) and (zab) of sub-section (2) of Section 114A read with Section 13, 64V and 64VA of the Insurance Act, 1938, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement –

- (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Assets, Liabilities, Solvency Margin and Abstract of Actuarial Report for Life Insurance Business) Regulations, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

CHAPTER – I**INTRODUCTION****2. Applicability**

These regulations shall be applicable to International Financial Service Centre Insurance Offices (IIOs), undertaking life insurance business.

Provided that for an IIO set up in an unincorporated form, solvency margin and related requirements under these regulations shall not be applicable and such IIO shall comply with related requirement as stipulated under sub-regulation (4) of regulation 17 of the IFSCA (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021

Provided however that the reporting formats specified under these regulations shall continue to be applicable for such IIOs.

3. Objective -

These regulations aim to specify the requirements related to capital, solvency and submission of abstract of actuarial report by an IIO for undertaking Life Insurance Business.

4. Definitions

- (1) In the seregulations, unless the context otherwise requires-
 - (a) ‘**Act**’ means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
 - (b) ‘**annualised premium**’ means regular premium (excluding extra premiums which are required to be shown separately) payable by the policyholder to secure the basic benefits under the policy in a policy year;
 - (c) ‘**Appointed Actuary**’ shall have the same meaning as assigned to it under clause (c) of sub-regulation 1 of regulation 3 of the International Financial Services Centres Authority (Appointed Actuary) Regulations, 2022;
 - (d) ‘**Authority**’ means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of Section 4 of the Act;
 - (e) ‘**extra premium**’ means a charge for any risk not provided for in the minimum insurance policy premium;
 - (f) ‘**group business**’ means those insurance policies of the description known as a ‘group policy’, where the number of persons covered by the policy is not less than fifty or such smaller number as may be specified by the Authority from time to time;.
 - (g) ‘**guarantees**’ means the terms related to benefits or premiums or charges, which may not be altered during the currency of the policy;
 - (h) ‘**individual business**’ means individual insurance policies issued on single/joint lives;

- (i) **‘insurer’** for the purpose of these regulations, means an International Financial Service Centre Insurance Office undertaking life insurance business;
- (j) **‘International Financial Service Centre Insurance Office’** shall have the same meaning as assigned to it under clause (k) of sub-regulation (1) of regulation 3 of the International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021;
- (k) **‘mathematical reserves’** means the provision made by an insurer to cover liabilities (excluding liabilities which have fallen due and liabilities arising from deposit back arrangement in relation to any policy whereby an amount is deposited by re-insurer with the cedant) arising under or in connection with policies or contracts of life insurance business. Mathematical reserves also include specific provision for adverse deviations of the bases such as mortality and morbidity rates; interest rates and expense rates; and any explicit provision made in the valuation of liabilities in accordance with the regulations.
- (l) **‘maturity date’** means a fixed date on which benefit may become payable either absolutely or contingently;
- (m) **‘non-par policies’ or ‘policies without participation in profits’** means policies which are not entitled for any share in surplus (profits) during the term of the policy;
- (n) **‘options’** means the rights available to a policyholder under a policy;
- (o) **‘par policies’ or ‘policies with participation in profits’** means policies which are not non-par policies;
- (p) **‘policies with deferred participation in profits’** means policies entitled for participation in profits after a certain period from the date of commencement of the policy;
- (q) **‘premium term’** means the period during which premiums are payable;
- (r) **‘riders’ or ‘rider benefits’** means add-on benefits which are in addition to basic benefits under a policy;
- (s) **‘sum at risk’**, in relation to a life insurance policy, means:
- (i) the amount payable, in any case in which an amount is payable on death or any other contingencies covered, in a manner other than as in clause (ii) below,
 - (ii) the present value of the benefit, where the benefit under the policy in question consists of making payment of annuity, in lump sum, or in instalments or any other kind of periodic payments, on death or any other contingency, in terms of the policy,
- less** in either case, the mathematical reserves in respect of that policy.
- (t) **‘valuation date’** means the date as on which the valuation is made;
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act or any rules or regulations made thereunder, shall have the same meaning respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER - II

REPORTING REQUIREMENTS

5. (1) An IIO shall prepare and submit to the Authority the following statements with such periodicity as may be specified:
- (a) A statement of admissible assets in FORM ALSM-L-A, as specified under **Schedule- I**.
 - (b) A statement of the amount of liabilities in FORM ALSM-L-L, as specified under **Schedule- II**.
 - (c) A statement of solvency margin in **FORM ALSM-L-SM1, FORM ALSM-L-SM2 and FORM ALSM-L-SM3**, as specified under **Schedule- III**.

- (2) An IIO shall submit –
- (a) Annual Actuarial Report prepared by the Appointed Actuary to the Authority in accordance with and in such manner as may be specified;
 - (b) Valuation of Assets & Liabilities and the computation of solvency margin duly certified by Appointed Actuary;
 - (c) such other reports as may be directed by the Authority.

Explanation: This regulation shall be applicable even in cases where the capital is being maintained in accordance with the home country regulations.

CHAPTER – III MISCELLANEOUS PROVISIONS

6. **Inspection, Investigation, Information and disclosure**

The Authority shall have the power to inspect or investigate the affairs of an IIO including calling for any information from the IIO or the parent entity; and may specify the disclosures to be made by an IIO to the Authority in relation to its activities.

7. **Power to specify procedure, etc.**

For the purpose of implementation of these regulations and matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes and manners to be complied by IIOs.

8. **Power to remove difficulties and relax strict enforcement of the regulations**

- (1) In order to remove any difficulty in the application or interpretations of the provisions of these regulations, the Authority may issue clarifications through guidance notes or circulars.
- (2) On an application received along with the specified non-refundable processing fees, the Authority may, for the reasons to be recorded in writing, relax the strict enforcement of any of the provisions of these regulations.

9. **Non-applicability of certain regulations and savings–**

- (1) On and from the commencement of these regulations, the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations 2016, Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016 and the circulars or guidelines issued thereunder, shall cease to apply in International Financial Services Centres.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), anything done or any action taken or purported to have been done or taken under the regulations, circulars or guidelines mentioned in sub-regulation (1), before the commencement of these regulations, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations.
- (3) An IIO operating in the International Financial Services Centre prior to the commencement of these regulations, shall comply with additional requirements stipulated in these regulations, if any, within a period of six (6) months from the date of commencement of these Regulations or within such extended time as may be specified by the Authority.

SCHEDULE-I

(refer clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 5)

1. **VALUATION OF ASSETS**

- (1) The following assets shall be placed with value zero:
 - (a) Movable and Immovable property excluding financial instruments and any other asset as may be specified by the Authority;
 - (b) Agents' and Intermediaries' balances and outstanding premiums in India, to the extent they are not realised within a period of thirty days;

- (c) Agents' and Intermediaries' balances and outstanding premiums outside India, to the extent they are not realisable;
 - (d) Sundry debts, to the extent they are not realisable;
 - (e) Advances and receivables of an unrealisable character;
 - (f) Furniture, fixtures, dead stock, and stationery;
 - (g) Deferred expenses;
 - (h) Debit balance of Profit and loss appropriation account and any fictitious assets other than pre-paid expenses;
 - (i) Reinsurer's balances outstanding for more than ninety days;
 - (j) Leasehold improvements;
 - (k) Goods and Service Tax Unutilized Credit outstanding for more than ninety days;
 - (l) Any other assets, as may be specified by the Authority from time to time.
- (2) All other assets of the IIO shall be valued in accordance with the applicable regulations and any instructions issued by the Authority in this regard.

2. STATEMENT OF ADMISSIBLE ASSETS

Every IIO shall prepare a statement of admissible assets in Form ALSM-L-A, as provided below:

FORM ALSM-L-A

STATEMENT OF ADMISSIBLE ASSETS

As on 31st March 20XX

Name of IIO:
Registration Number:

(All amounts in USD mn)

	Particulars	Policyholders A/c	Shareholders A/c	Total
	Investments			
A	Investments Shareholder'			
B	Policyholders' Assets*			
C	Assets held to cover linked liabilities**			
D	Total Investments as per audited BS (A+B+C)			
E	Inadmissible investment assets identified under clause (1) of Schedule- I			
	Fixed assets			
F	Fixed assets as per audited BS			
G	Inadmissible Fixed assets identified under clause (1) of Schedule- I			
	Current Assets			
H	Cash & Bank Balances as per audited BS			
I	Advances and Other assets as per audited BS			
J	Total Current Assets as per audited BS = (H)			

	+ (I)			
K	Inadmissible Current assets identified under clause (1) of Schedule- I			
L	Policy Loans as per audited BS			
M	Fair Value Change Account subject to minimum of zero			
N	Total Assets as per audited BS (N) = (D) + (F) + (J) + (L)			
O	Total Inadmissible assets (O) = (E) + (G) + (K) + (M)			
P	Total Assets excluding Total Inadmissible assets (P) = (N)-(O)			
	CurrentLiabilities and Provisions			
Q	Current Liabilities as per audited BS			
R	Provisions as per audited BS			
S	Total Current Liabilities & Provisions = (Q) + (R)			
	TotalAdmissibleassetsforSolvency = (P)-(S)			
Note:				
The statement shall show the value of the above-mentioned categories of assets in accordance with Clause 1 hereinabove.				

'BS' indicates 'Balance Sheet'

* 'Policyholders' asset' should include assets backing non unit liabilities of linked business. ***'Assets held to cover linked liabilities' will include only assets backing unit liabilities.

We certify that the statement has been prepared in accordance with Schedule-I of the International Financial Services Centres Authority (Assets, Liabilities, Solvency Margin and Abstract of Actuarial Report for Life Insurance Business) Regulations, 2023.

Name:

Place:

Chief Financial Officer

Appointed Actuary

Statutory Auditor

Principal Officer

SCHEDULE-II

(refer clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 5)

1. **Interpretation:** In this Schedule,
 - (1) 'Valuation date' in relation to an actuarial investigation, means the date to which the investigation relates.
 - (2) 'Policy Accounts' means funds earmarked for Variable Linked and Variable Non-Linked Business.
2. **Valuation Methodology**
 - (1) **Method of Determination of Mathematical Reserves:**
 - (a) Mathematical Reserves shall be determined for each insurance policy, by adopting a prospective method of valuation in accordance with clause 2(1)(b) to clause 2(1)(d) herein.

- (b) The valuation method shall take into account all prospective contingencies under which any premiums or benefits may be payable under the policy, as determined by the policy conditions. The level of benefits, which may be payable under the policy, shall take into account various factors including but not limited to the reasonable expectations of policyholders (with regard to bonuses, including terminal bonuses, if any) and any established practices of an insurer for payment of benefits.
- (c) The valuation method shall take into account the cost of any options and guarantees that may be available to the policyholder under the terms of the insurance policy.
- (d) The determination of the amount of liability under each policy shall be based on prudent assumptions of all relevant parameters. The value of each such parameter shall be based on the insurer's expected experience and shall include an appropriate margin for adverse deviations (hereinafter referred to as 'MAD') that may result in an increase in the amount of mathematical reserves.
- (e) The amount of mathematical reserve in respect of a policy, determined in accordance with clause 2(1)(d) hereinabove, may be negative (called 'negative reserves') or less than the surrender value available (called 'surrender value deficiency reserve') at the valuation date.

Note:

- (i) The surrender value for this purpose shall be higher of special surrender value and guaranteed surrender value.
 - (ii) The Appointed Actuary shall, for the purpose of section 35 of the Insurance Act, 1938, use the amount of such mathematical reserves without any modification;
 - (iii) The Appointed Actuary shall set the amount of such mathematical reserve to zero, in case of such negative reserve, or to the surrender value, in case of such surrender value deficiency reserves, as the case may be.
- (f) 'Gross Premium Valuation' shall be adopted as a valuation method, except for the following cases:
- (i) One-year renewable group term assurances including riders attached to group business wherein Reserves shall allow for Unearned Premium, Premium deficiency and Incurred But Not Reported claims.
 - (ii) Riders attached to individual products wherein the reserve shall be higher of Gross Premium Valuation Reserve and Unearned Premium Reserve.
- (g) For individual business, the Appointed Actuary may hold additional reserve in respect of Incurred but Not Reported claims.
- (h) If in the opinion of the Appointed Actuary, a method of valuation other than the Gross Premium Valuation is to be adopted, then, other approximation methods (e.g. retrospective method) may be used.

Provided that, the amount of calculated reserve is expected to be at least equal to the amount that shall be produced by application of Gross Premium Valuation Method.

- (i) The method of calculation of the amount of liabilities and the assumptions for the valuation parameters shall not be subject to arbitrary discontinuities from one year to the next.

(2) **Policy Cash Flows:**

The **gross premium method of valuation** shall discount the following future policy cash flows at an appropriate rate of interest:

- (a) premiums and benefits payable, if any, on death; on survival; on voluntary termination of insurance policy, and the following, if any, as the case may be:-
 - (i) basic benefits,
 - (ii) rider benefits,
 - (iii) bonuses that have already been vested as at the valuation date,
 - (iv) bonuses as a result of the valuation at the valuation date, and

- (v) future bonuses (one year after valuation date) including terminal bonuses (consistent with the valuation rate of interest);
- (b) **commission and remuneration payable**, if any, in respect of a policy (this shall be based on current practice of the insurer). No allowance shall be made for non-payment of commission in respect of orphaned policies.
- (c) **policy maintenance expenses**, if any, in respect of a policy, as provided under clause 2(4)(c) herein;
- (d) **allocation of profit to shareholders**, if any, where there is a specified relationship between profits attributable to shareholders and the bonus rates declared for policyholders

Provided that allowance must be made for tax, if any.

(3) **Policy Options and Guarantees:**

Where a policy provides built-in options that may be exercised by the policyholder, such as conversion or addition of coverage at future date(s) without any evidence of good health, or guarantees, such as annuity rate guarantees at maturity of insurance policy, investment guarantees etc., the costs of such options or guarantees shall be estimated and treated as special cash flows in calculating the mathematical reserves.

(4) **Valuation Parameters:**

- (a) The valuation parameters shall constitute the bases on which the future policy cash flows shall be computed and discounted. Each parameter shall have to be appropriate to the block of business to be valued. An Appointed Actuary shall take into consideration the following,
 - (i) The value(s) of the parameter shall be based on the insurer's experience study, where available. If reliable experience study is not available, the value(s) can be based on the industry study, if available and appropriate. If neither is available, the values may be based on the bases used for pricing the product. In establishing the expected level of any parameter, any likely deterioration in the experience shall be taken into account;
 - (ii) The expected level, as determined in clause 2(4)(a)(i) herein, shall be adjusted by an appropriate Margin for Adverse Deviations (MAD), the level of MAD being dependent on the degree of confidence in the expected level, and such MAD in each parameter shall be based on the Actuarial Practice Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Actuaries of India or any other body as may be specified by the Authority.
 - (iii) The values used for the various valuation parameters should be consistent among themselves.
- (b) Mortality rates and Morbidity rates to be used shall be by reference to a published table, unless the insurer has constructed a separate table based on its own experience:
- (c) Policy maintenance expenses shall have regard to the actual expense experience of the insurer. All expenses shall be increased in future years for inflation; the rate of inflation assumed should be consistent with the valuation rate of interest.

Provided that appropriate additional provisions shall be made if the actual experience has not been considered for the valuation.

Provided further that the above provision shall not be applicable to the IIOs set up in an incorporated form, and undertaking life insurance business, for the first five years from the date of commencement of the business.

(d) **Valuation rate of interest**, to be used by Appointed Actuary –

- (i) for the calculation of the present value of policy cash flows referred to in clause 2 (2) hereinabove, shall not be higher than the rates of interest, determined from prudent assessment of the yields from existing assets attributable to blocks of life insurance business, and the yields which the insurer is expected to obtain from the sums to be invested in the future, and such assessment shall take into account-

- a. the composition of assets supporting the liabilities, expected cash flows from the investments on hand, the cash flows from the block of policies to be valued, the

likely future investment conditions and the reinvestment and disinvestment strategy to be employed in dealing with the future net cash flows;

- b. the risks associated with investment in regard to receipt of income on such investment or repayment of principal;
 - c. the expenses associated with the investment functions of the insurer;
- (ii) shall not be higher than, for the calculation of present value of policy cash flows in respect of a particular category of insurance policies, the yields on assets maintained for the purpose of such category of contacts;
 - (iii) in respect of non-participating business, shall recognize the risk of decline in the future interest rates;
 - (iv) in respect of participating business, shall be based on the assumption (with regard to future investment conditions), that the scale of future bonuses used in the valuation is consistent with the valuation rate of interest.
- (e) **Lapse rate**, if considered for valuation, should be a prudent assumption based on past experience of the product or similar products; and shall have regard to the expected future experience based on the nature of the products, target market, distribution channel etc.
 - (f) Other parameters may be taken into account, depending on the type of policy. In establishing the values of such parameters, the considerations set out in this Schedule shall be taken into account.
 - (g) Re-insurance arrangement with an element of borrowing in the form of deposit or credit of any kind from insurer's reinsurers without the prior approval of the Authority shall not be treated as credit for re-insurance for the purpose of determination of required solvency margin.
 - (h) In case the mathematical reserve is calculated allowing for outgo in respect of reinsurance premium and credit taken for claim recoveries from reinsurer, the valuation basis and methods shall be as per this Schedule.
 - (i) As regards the business ceded by insurers, this Schedule shall be applicable to the net sums at risk retained by the insurer.
- (5) **Additional Requirements for Unit Linked Business:**
- (a) Reserves in respect of Unit linked business shall consist of two components, namely, unit reserves and general (non-unit) fund reserves.
 - (b) Unit reserves shall be calculated in respect of the units allocated to the policies in force at the valuation date using unit values if applicable, at the valuation date.
 - (c) General (non-unit) fund reserves shall be determined using discounted cash flow method, which shall take into account of the following, namely:-
 - (i) premiums, if any, payable in future;
 - (ii) death benefits, if any, provided by the general (non-unit) fund reserve (over and above the value of units);
 - (iii) management charges paid to the general(non-unit) fund;
 - (iv) guarantees, if any, relating to surrender values or minimum death and maturity benefits;
 - (v) Fund growth rates and management charges. (The values of these parameters, along with others, shall be determined in accordance with clause 2(4)(d) hereinabove);
 - (vi) Non-negative residual additions, if any,

Explanation: the computation methodology to be adopted for computation of non-negative residual additions shall be as specified by the Authority from time to time.

- (vii) Any future negative cash flow shall be appropriately provided for by setting up reserves; and negative reserves, if any, shall be set to zero.

Explanation: General (non-unit) fund reserve under unit linked policies shall be considered as reserve for non-linked non-participating business for the purpose of investment norms, distribution of surplus etc.

(6) **Additional Requirements for Variable Linked Business:**

- (a) Reserve in respect of variable linked business shall consist of two components, namely, policy account reserves and general fund reserves.
- (b) Policy account reserves shall be the balance in Policy Account on the date of valuation.
- (c) General fund reserves shall be determined using discounted cash flow method, which shall take into account of the following, namely:-
 - (i) Premiums, if any, payable in future;
 - (ii) Death benefits, if any, provided by the general fund (over and above the value of policy account);
 - (iii) Management charges paid to the general fund;
 - (iv) Guarantees, if any, relating to surrender values or minimum death and maturity benefits;
 - (v) Policy account growth rates and management charges. (The values of these parameters, along with others, shall be determined in accordance with clause 2(4)(d) of this Schedule);
 - (vi) Non-negative residual additions, if any;
 - (vii) Any future negative cash flow shall be appropriately provided for by setting up reserves; and negative reserve if any, shall be set to zero.

Explanation: General Fund Reserve under Variable Linked Business shall be considered as reserve for non-linked non-participating business for the purpose of investment norms, distribution of surplus etc.

(7) **Additional Requirements for Variable Non-Linked Business (Participatory and Non-Participatory):**

- (a) Reserve in respect of variable non-linked business shall consist of two components, namely, policy account reserves and general fund reserves.
- (b) Policy account reserves shall be the balance in Policy Account on the date of valuation.
- (c) General fund reserves shall be determined using discounted cash flow method, which shall take into account of the following, namely:-
 - (i) Premiums, if any, payable in future;
 - (ii) Death benefits, if any, provided by the general fund (over and above the value of Policy account);
 - (iii) Management charges paid to the general fund;
 - (iv) Guarantees, if any, relating to surrender values or minimum death and maturity benefits;
 - (v) Policy account growth rates and management charges. (The values of these parameters, along with others, shall be determined in accordance with clause 2(4)(d) of this Schedule);
 - (vi) Non-negative residual additions, if any,
 - (vii) Any future negative cash flow shall be appropriately provided for by setting up reserves; and negative reserves if any, shall be set to zero.
 - (viii) Future bonuses (one year after valuation date) including terminal bonuses (consistent with the valuation rate of interest)
 - (ix) Allowance must be made for tax, if any
 - (x) Allocation of profit to shareholders, if any, where there is a specified relationship between profits attributable to shareholders and the bonus rates declared for policyholders.

Explanation: General Fund Reserves under Variable Non-linked Participating and Non-Participating Business shall be considered as reserve for the purpose of investment norms, distribution of surplus etc. for the respective businesses.

(8) **Additional Requirements for Provisions :** The Appointed Actuary shall make aggregate provisions in following cases, where it is not possible to calculate mathematical reserves for each policy, in the determination of mathematical reserves:-

- (a) Policies in respect of which extra premiums have been charged on account of underwriting of substandard lives that are subject to extra risks such as occupation hazard, over-weight,

underweight, smoking history, health, climatic or geographical conditions;

- (b) Lapsed policies not included in the valuation but under which a liability exists or may arise;
- (c) Options available under individual and group insurance policies;
- (d) Guarantees available to individual and group insurance policies;
- (e) The rates of exchange at which benefits in respect of policies issued in foreign currencies have been converted into Indian Rupees and what provision has been made for possible increase of mathematical reserves arising from future variations in rates of exchange;
- (f) Other, if any.

FORM ALSM-L-L

SUMMARY OF VALUATION

As on 31st March 20XX

Name of IIO:
Registration Number:

(All amounts in USD mn)

Item No.	Category of Business	Mathematical Reserve before Reinsurance	Mathematical Reserve after Reinsurance	Sum at Risk before Reinsurance	Sum at Risk after Reinsurance
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
	Total				

Note:

Mathematical reserves shall be furnished inclusive of cost of bonuses allocated and in accordance with the Clause 1 and 2 of this Schedule.

SCHEDULE-III

(refer clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 5)

STATEMENT OF SOLVENCY MARGIN

1. **Interpretation:** In this Schedule,
 - (1) 'Available Solvency Margin' means the excess of value of assets (as furnished in Form ALSM -L-A) over the value of life insurance liabilities (as furnished in Form ALSM -L-L) and other liabilities of policyholders' fund and shareholders' funds;
 - (2) 'Solvency Ratio' means the ratio of Available Solvency Margin to Required Solvency Margin as specified in Form **ALSM-L-SM3**.
 - (3) 'Control level of Solvency' refers to the specified level of solvency margin to be maintained by the IIO, without prejudice to taking any other remedial measures as deemed fit. The control level of solvency is hereby specified as a minimum solvency ratio of 150%.

FORM ALSM-L-SM1**REQUIRED SOLVENCY MARGIN BASED ON MATHEMATICAL RESERVE AND SUM AT RISK****As on 31st March 20XX**

Name of I IO:

Registration Number:

(All amounts in USD mn)

Item No.	Category of Business	Mathematical Reserve before Reinsurance	Mathematical Reserve after Reinsurance	Sum at Risk before Reinsurance	Sum at Risk after Reinsurance	Factor A	Factor B	RSM1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
4								
5								
	Total							

Note:

- Factor A and B for classes of business are as follows:

Category	Division	Factor A	Factor B* (other than annuity)
Non Linked	Individual	3.00%	0.30%
Non Linked	Group	1.00%	0.10%
Linked	With Guarantees	1.50%	0.20%
Linked	Without Guarantees	0.50%	0.20%

*Factor B shall be at 0% for all annuity business

- The Authority shall revise the Factors A and B through the issuance of circulars as and when required.
- $RSM\ 1 = ((\text{Higher of Mathematical Reserves after Reinsurance or Mathematical Reserves before Reinsurance}) * 0.85) * \text{Factor A} + ((\text{Higher of Sum at Risk after Reinsurance or Sum at Risk before Reinsurance}) * 0.5) * \text{Factor B}$
- Total of RSM 1 for all category of business shall be considered for the computation of Solvency Margin
- An IIO set up in unincorporated form shall also submit 'FORM ALSM-L-SM1' to the Authority.

Provided that the Authority may permit deviation from the above reporting format based on applicable regulatory framework for Parent Entity of an IIO.

- The Appointed Actuary shall, *inter-alia*, provide the detailed methodology of computation while submitting to the Authority.

Certification

We certify that the statement has been prepared in accordance with Schedule-III of the International Financial Services Centres Authority (Assets, Liabilities, Solvency Margin and Abstract of Actuarial Report for Life Insurance Business) Regulations, 2023.

Name:

Place:

Chief Financial Officer

Appointed Actuary

Statutory Auditor

Principal Officer

FORM ALSM-L-SM2
REQUIRED SOLVENCY MARGIN BASED ON INVESTMENT RISK
As on 31st March 20XX

Name of IIO:
 Registration Number:

(All amounts in USD mn)

Investment Categories	Admissible Assets as per Form ALSM-L-A	Factor C	RSM 2
	(1)	(2)	(3)
Bonds and other fixed income instruments including Debt Mutual Funds			
ICS-RC 1		0.00%	
ICS-RC 2 & 3		1.00%	
ICS-RC 4 and rated below		5.00%	
Debts, Corporate and Bank Deposits and similar rights			
ICS-RC 1		0.00%	
ICS-RC 2 & 3		1.00%	
ICS-RC 4 and below		5.00%	
Listed Equities and equity type instruments including Equity Mutual Funds		5.00%	
Preference Shares		5.00%	
Alternative Investment Funds (AIF) Category 1 & 2 only		0.00%	
Others		5.00%	
Total*			
Note:			
1. The Authority may revise the Factor C, as and when deemed fit.			
2. RSM 2 = Admissible Assets as per Form ALSM-L-A * Factor C			
3. Total of RSM 2 for all assets shall be considered for the computation of Solvency Margin			
4. Insurance Capital Standards – Rating Categories (ICS-RC) by international rating agencies recognized by the International Association of Insurance Supervisors (IAIS), unless otherwise specified by the Authority			
* This total shall be equal to the Total Assets excluding Total Inadmissible assets as reflected at (P) in statement ALSM-L-A			

Certification

We certify that the statement has been prepared in accordance with Schedule-III of the International Financial Services Centres Authority (Assets, Liabilities, Solvency Margin and Abstract of Actuarial Report for Life Insurance Business) Regulations, 2023.

Name:

Place:

Chief Financial Officer
 Statutory Auditor

Appointed Actuary
 Principal Officer

FORM ALSM-L-SM3
SOLVENCY RATIO
As on 31st March 20XX

(All amounts in USD mn)

Name of IIO:
 Registration Number:

Item	Description	Notes No.	Value
01	Available Assets in Policyholders' Fund:	1	
	Deduct:		
02	Mathematical Reserves	2	
03	Other Liabilities	3	
04	Excess in Policyholders' funds (01-02-03)		
05	Available Assets in Shareholders Fund:	4	
	Deduct:		
06	Other Liabilities of shareholders' fund	3	
07	Excess in Shareholders' funds (05-06)		
08	Total ASM (04)+(07)		
09	RSM 1	5	
10	RSM 2	6	
11	Total RSM (RSM1+RSM2)		
12	Solvency Ratio (ASM/RSM)		

Note:

1. Item No. 01 shall be the amount of the Total Admissible assets for Solvency as mentioned in Form ALSM-L-A;
2. Item No. 02 shall be the amount of Mathematical Reserves as mentioned in Form ALSM-L-L;
3. Item Nos. 03 and 06 shall be the amount of other liabilities as mentioned in the Balance Sheet;
4. Items No. 05 shall be the amount of the Total Admissible assets for Solvency as mentioned in Form ALSM-L-A under Shareholders A/C;
5. Items No. 09 shall be the amount of the total of RSM 1, at an entity level, as mentioned in Form ALSM-L-SM1;
6. Items No. 10 shall be the amount of the total of RSM 2, at an entity level, as mentioned in Form ALSM-L-SM2;

Certification

We certify that the statement has been prepared in accordance with Schedule-III of the International Financial Services Centres Authority (Assets, Liabilities, Solvency Margin and Abstract of Actuarial Report for Life Insurance Business) Regulations, 2023.

Name:

Place:

Chief Financial Officer

Appointed Actuary

Statutory Auditor

Principal Officer

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./27/2023-24]